भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1029.

दिनांक 04.03.2015/13 फाल्गुन, 1936 (शक) को उत्तर के लिए

सुनामी के कारण वित्तीय हानि

1029. श्री टी. के. रंगराजनः

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सुनामी के कारण कुल कितनी वित्तीय हानि का अनुमान है;
(ख) क्या भारत में गैर-सरकारी सगंठनों ने सुनामी पीड़ितों की सहायता हैतु चंदे इकट्ठे किए थे;
(ग) यदि हां, तो इन गैर सरकारी संगठनों के नामों तथा चंदे की राशि सहित इसका ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या इन गैर-सरकारी संगठनों ने सुनामी पीड़ितों हेतु धनराशि खर्च की है तथा सरकार को इसके लेखे प्रस्तुत किए है; और
(ड़) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री किरेन रिजिजू)**

(क) : सुनामी द्वारा हुई क्षति के कारण कुल अनुमानित वित्तीय नुकसान 11544.91 करोड़ रू. है।

(ख) से (ड़) : सुनामी पीड़ितों की सहायता के लिए चंदा एकत्रित करने वाले भारत के गैर-सरकारी संगठनों संबंधी आंकडे गृह मंत्रालय द्वारा नहीं रखे जाते हैं। अण्डमान एवं निकोबार प्रशासन ने सूचित किया है कि माता अमृतानंदमयी मठ ने अपनी स्वयं की निधियों से सुनामी पीड़ितों के लिए 500 स्थाई शरणगाह बनाए थे। तथापि, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश तथा केरल राज्यों और पुदूचेरी प्रशासन ने सूचित किया है कि उनके पास एनजीओ के चंदे के संबंध में कोई आंकड़े नहीं हैं।

विदेशी चंदे की सहायता से संचालित गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को विदेशी अभिदाय(विनियम) अधिनयम, 2010 के सुपरिभाषित विधिक ढ़ाचे द्वारा शासित किया जाता है।

****